

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 23/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 20.03.2020

का.आ. (अ) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं.60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि.916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:-

तालिका

क्र. सं.	नोटिसियों का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै प्लेटमास्टर्स, W-193(B), S-ब्लॉक, एमआईडीसी, भोसारी, पुणे, महाराष्ट्र-411026.	डीआरआई फ़ा सं DRI/LZU-CI/26/Enq- 24(Int.0)/2018/ Platemasters दिनांक 11/12.02.2020.	अपर आयुक्त सीमा शुल्क (आयात-I), गुप-V, न्यू कस्टम हाउस, बल्लार्ड इस्टेट, मुंबई. उप आयुक्त सीमा शुल्क (न्हावा शेवा-V), गुप-V, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (आयात-I), गुप-V, न्यू कस्टम हाउस, बल्लार्ड इस्टेट, मुंबई.
2.	मै रोसेनबर्जर एलेक्ट्रॉनिकस कंपनी (इंडिया) प्रा. लिम., प्लॉट सं. N3B3, फ़ेस-IV,	फ़ा सं DRI/MZU/ GRU/Int/145/2017 दिनांक 14.02.2020.	प्रधान आयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहार, अंधेरी (पूर्व),	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय,

	वेरना इंडस्ट्रियल इस्टेट, वेरना, गोवा-403422.		मुंबई. प्रधान आयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), न्हावा शेवा-II, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. प्रधान आयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो - तुगल्काबाद, नई दिल्ली.	मुंबई.
3.	मै एस एम निर्यात प्रा लि., कमरा सं. 402, सागर ट्रेड क्यूब, 104, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड, कोलकाता-700026 और 3 अन्य.	फ़ा सं DRI/DZU/ 23/Enq-77/2017/ SMNIRYAT दिनांक 03.01.2020 दिनांक 13.02.2020 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय	प्रधान आयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), सी आर बिल्डिंग, राजस्व विहार, भुबनेश्वर प्रधान आयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क (पोर्ट), कस्टम हाउस, कोलकाता.	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली.
4.	मै बीएसएच हाउसहोल्ड अप्पलाएंस मैनुफेक्चरिंग प्रा लि., 2 <sup>रा</sup> तल, अरेना हाउस, प्लॉट सं. 103, रोड सं. 12, एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400093.	फ़ा सं DRI/MZU/ CI/Int-148/2019 दिनांक 26.02.2020.	प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (III) (आयात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई के कार्यालय मे सहायक/उप आयुक्त सीमा शुल्क, ग्रुप VA आयुक्त सीमा शुल्क (न्हावा शेवा -V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़ के कार्यालय मे सहायक/उप आयुक्त सीमा शुल्क, ग्रुप VA.	प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (III) (आयात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई के कार्यालय में सहायक/उप आयुक्त सीमा शुल्क, ग्रुप VA

			प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, जीएसटी रोड, न्यू कस्टम हाउस, चेन्नई-II, मीनाम्बक्कम, चेन्नई के कार्यालय मे सहायक/उप आयुक्त सीमा शुल्क, ग्रुप VA.	
--	--	--	---	--

[फा. स.DRI/HQ-CI/50D/CAA-14/2020]

(जसप्रीत सिंह सुखीजा)  
संयुक्त निदेशक

**प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्द्यतन हेतु प्रेषित:-**

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान अपर महानिदेशक/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-दिल्ली, लखनऊ और मुंबई को इस अनुरोध के साथ कि वे उनके ज़ोनल यूनिट से संबन्धित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी अनुरोध है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दें।